

उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधन-2016) योजना के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र
पं०सं०-526/उ०प०या०व्य०प०/पर्य०दे०/2021-22 देहरादून दिनांक:- 19 अगस्त 2021

एतद्वारा शासनादेश/अधिसूचना संख्या-161/VI/2014-01(07)/2013 दिनांक 24 जनवरी, 2014 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-160/VI/2016-01(07)/2013(418) दिनांक 16 फरवरी, 2016 के द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधन-2016) के अन्तर्गत निहित शर्तों व नियम के अधीन नीचे दिये गये विवरणानुसार आवासीय इकाई Hyatt Regency (a Unit Of Sir Biotech India Limited) दानियों का डोंडा, परगना सेंट्रल दून, जनपद-देहरादून को यात्रियों/पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीकरण प्रमाण निर्गत किया जाता है:-

- 1) आवासीय इकाई का नाम - Hyatt Regency (a Unit Of Sir Biotech India Limited)
- 2) पंजीयन संख्या व दिनांक - UTTR/DEHRADUN/01-2021/004584 दि० 19-08-2021
- 3) होटल स्वामी/पार्टनर/निदेशक का नाम - Mr. Yuvraj Dalmia
- 4) मोबा० - 9873866447
- 5) पंजीकृत कक्षों की संख्या - 263 कक्ष (दो सौ तिरैसठ कक्ष)

नियम व शर्तें:-

- I उपरोक्त विवरणानुसार पंजीकृत किये गये कक्षों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्ष/सुईट्स में यात्रियों/पर्यटकों को नहीं ठहराया जायेगा।
- II पर्यटकों के आवागमन के सम्बन्ध में एक आगन्तुक पत्रिका का रख-रखाव किया जायेगा एवं होटल में ठहरने वाले प्रत्येक यात्री से फोटो पहचान पत्र (आईडी) लिया जायेगा, बिना फोटो पहचान पत्र के होटल में किसी यात्री को नहीं ठहराया जायेगा, जिसका निरीक्षण किसी भी समय जिला प्रशासन/पर्यटन कार्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
- III आवासीय इकाई में ठहरने वाले पर्यटकों की सूचना प्रति माह पर्यटन कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
- IV पंजीकृत इकाई में विदेशी पर्यटकों के ठहरने पर उनके पासपोर्ट/वीजा इत्यादि का का विवरण सम्बन्धित अनुरक्षित पत्रिका में किया जायेगा तथा फार्म सी० में विवरण स्थानीय अभिसूचना इकाई/पर्यटन विभाग को समयान्तर्गत उपलब्ध करवाया जायेगा।
- V पंजीकृत इकाई के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागों/सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- VI पंजीकृत इकाई के क्रियान्वयन/संचालन में पर्यावरण की सुरक्षा/स्वच्छता एवं प्रदूषण नियन्त्रण का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- VII पंजीकृत इकाई के संचालन के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत प्राविधानित सभी विद्यमान एवं समय-समय पर जारी होने वाली शर्तों व नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
- VIII पंजीकृत इकाई में ठहरने वाले यात्रियों/पर्यटकों को उच्चतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जानी होगी।
- IX पंजीकृत इकाई के संचालन हेतु मा० न्यायालय/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/सक्षम प्राधिकरण के नियमों-शर्तों के उल्लंघन/परिपूर्ण न करने की दशा में यह पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। जिस पर आपका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- X उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2014 (संशोधन-2016) के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने के फलस्वरूप निर्गत किये जा रहे इस प्रमाण पत्र को किसी भी वैधानिक दस्तावेज के रूप में किसी भी न्यायालय आदि में अपने किसी भी स्वामित्व/लीज डीड/मानचित्र स्वीकृति आदि के दावे के सत्यापन हेतु आधार नहीं बनाया जायेगा।
- XI पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणित आवासीय दरें स्वागत कक्ष में प्रदर्शित की जानी होंगी।
- XII यह पंजीकरण मात्र पर्यटकों/यात्रियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है। आवासीय इकाई के नियमानुसार संचालनार्थ मा० न्यायालय/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/वन्य जीव अधिनियम/जल संचय-जल संरक्षण/रूढ़की-हरिद्वार विकास प्राधिकरण/मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण/दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/कैंट बोर्ड/अग्नि शमन विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/खाद्य सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/रोड साईड कंट्रोल एक्ट/अन्य सम्बन्धित प्राधिकरण आदि के नियमों-शर्तों के उल्लंघन/परिपूर्ण न करने की दशा में यह पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक:- पंजीकरण प्रमाण पत्र।

पु०प०सं०- (1)/2021 समदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
01-जिलाधिकारी, देहरादून।
02-उपजिलाधिकारी, देहरादून।
03-प्रमारी, स्थानीय अभिसूचना इकाई, देहरादून।



जिला पर्यटन विकास अधिकारी
क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय
देहरादून

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।



Uttarakhand
Simply Heaven!

Uttarakhand Tourism Development Board
Department of Tourism, Government Of Uttarakhand

Certificate of Registration

This is to certify that

M/s. Hyatt Regency (a Unit Of Sir Biotech India Limited)

Owner/Partner Name Yuvraj Dalmia

Total Registered Room(s) 263

Address Hyatt Regency , 93 And 94 Ka , Dario Ka Danda , Pargana Central Doon , Dehradun - Dehradun,
Dehradun

Has been registered as per **Uttarakhand Tourism and Travel Trade
Registration Rules-2014 (amendment 2016)** under the category

Hotel,Motel/ Road Side Facilities, Resort, Guest/Tourist Rest House

Certificate No. UTTR/DEHRADUN/01-2021/004584



Generated On 19-08-2021

Printed On 19-08-2021

19/8/2021

District Tourism Development Officer
Uttarakhand Tourism Development Board

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय
देहरादून

* The Authenticity of the certificate may be verified on www.uttarakhandtourism.gov.in

Pt.Deendayal Upadhaya Paryatan Bhawan Near ONGC Helipad,Garhi Cantt
Dehradun-248001(Uttarakhand)

साथी

System for Assessment, Awareness and
Training for Hospitality Industry

— An initiative towards Atmanirbhar Bharat —

SELF CERTIFICATION

HYATT REGENCY (A UNIT OF SIR BIOTECH INDIA LIMITED)

(Unit Name)

DEHRADUN, DEHRADUN, UTTARAKHAND

(Unit City/District/State)

MOT190821522

(NIDHI Registration Number)

August 19, 2021 4:04 PM

(Date of Self Certification)

This self-certification is governed by the declaration given by the organization while registering and is an assurance to ensure safety and hygiene at the workplace in order to mitigate COVID-19 risks. It does not imply any certification of compliance to the SOPs/Guidelines issued by the Government since practice of these elements is a continuous process. This Certificate will not substitute any legal or other requirement for setting up or operating a hospitality business.

